न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–09/2020 (2020/00025) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. शान्तिलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार नि.नाहरी तह. रायपुर हाल सर्राफा बाजार, भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता देवीलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बाबुलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर मृतक के बजाय

2/1 चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/2 दुर्गादेवी पुत्री बाबुलाल नाबा माता चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी

2/3 गोविन्द पुत्र बाबुलाल नाबा माता चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी

3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरियें तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना– अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 08.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 04.03.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1121 रकबा 1.08 कुल किता 1 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से का कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन करवा रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 08.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:10 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर के वैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 1121/3 रकबा 0.36 है0 भूमि शान्तिलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार (सुनार) सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1121/1 रकबा 0.36 है0 भूमि कैलाशचन्द्र पिता देवीलाल स्वर्णकार (सुनार) सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1121/2 रकबा 0.36 है0 भूमि बाबुलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार मृतक के बजाय चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल 1/3, दुर्गादेवी पुत्री बाबुलाल 1/3, गोविन्द पुत्र बाबुलाल 1/3 सरप्रापत माता चन्दादेवी स्वर्णकार (सुनार) सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08-10-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:10 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–09 / 2020 (2020 / 00025) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. शान्तिलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार नि.नाहरी तह. रायपुर हाल सर्राफा बाजार, भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. कैलाशचन्द्र पिता देवीलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बाबुलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर मृतक के बजाय

2/1 चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2/2 दुर्गादेवी पुत्री बाबुलाल नाबा माता चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी

2/3 गोविन्द पुत्र बाबुलाल नाबा माता चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल स्वर्णकार निवासी नाहरी

3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरियें तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 1121/3 रकबा 0.36 है0 भूमि शान्तिलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार (सुनार) सा.देह खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 1121/1 रकबा 0.36 है0 भूमि कैलाशचन्द्र पिता देवीलाल स्वर्णकार (सुनार) सा. देह खातेदार रहन बैक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1121/2 रकबा 0.36 है0 भूमि बाबुलाल पिता देवीलाल स्वर्णकार मृतक के बजाय चन्दादेवी पत्नि बाबुलाल 1/3, दुर्गादेवी पुत्री बाबुलाल 1/3, गोविन्द पुत्र बाबुलाल 1/3 सरप्रापत माता चन्दादेवी स्वर्णकार (सुनार) सा.देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 1[illegible]:07:10 IST
Reason: SelfAttested

08.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर, जिला भीलवाड़ा